न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 104/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 131,132 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1. मोतीलाल पुत्र भैराराम जाति सुथार निवासी कानासर तह. बाप जिला जोधपुर
2. उमेश पुत्र भैराराम जाति सुथार निवासी कानासर तह. बाप जिला जोधपुर
3. पद्मादेवी पत्नि भैराराम जाति सुथार निवासी कानासर तह. बाप जिला जोधपुर
4. पूसाराम पुत्र तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तह. बाप जिला जोधपुर

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर
3. पटवारी पटवार हल्का कानासर तह. बाप जिला जोधपुर

-अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः- 13.02.2023

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर के खेत खसरा नम्बर 219 कुल रकबा 2693 बीघा भूमि का आया हुआ है। जिसमें वर्तमान में अलग-अलग खातेदारों को भूमि आवंटन हो रखी है तथा शेष रकबा 2008.14 बीघा भूमि वर्तमान में सरकारी खाते में दर्ज है तथा रकबा 683.06 बीघा भूमि अलग-अलग खातेदारों के नाम से खातेदारी दर्ज है। ग्राम नेवा के खसरा नम्बर 219 में कुल करीब 32 किसानों को अलग-अलग रकबा आवंटन हुआ है इस खसरे में कुल आवंटित रकबा 683.06 बीघा तथा आवंटित भूमि को खसरा नम्बर 219 के अलग-अलग बट्टा नम्बरान राजस्व रेकर्ड में अंकित करते हुए आवंटियों के खातेदारी में दर्ज हुए। प्रार्थीगण के नाम से खसरा नम्बर 219 कुल रकबा 2692 बीघा में से प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से खसरा नम्बर 219/10 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 4 के नाम से खसरा नम्बर 219/13 रकबा [illegible] हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ तथा इस प्रकार ग्राम नेवा के [illegible] 219 कुल [illegible] 2692 बीघा में कुल 32 बट्टा नम्बर अंकित किये हुवे है इस प्र[illegible] भूमि में कुल रकबा 683.06 बीघा भूमि आवंटित होकर खातेदारी में दर्ज हुई तथा शेष [illegible] 2008.14 बीघा भूमि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है तथा इस खसरे की सम्पूर्ण सरकारी भूमि पर अतिक्रमीयों का अवैध कब्जा काश्त है इस प्रकार इस खसरे के सम्पूर्ण रकबे पर काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:32 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी बाप
13.02.2023

की जा रही है। अभी राजस्व नक्शा ऑनलाईन होने पर प्रार्थीगणों ने अपने अपने खेत का ऑनलाईन नक्शा निकाला तक प्रार्थीगणों को जानकारी हुई की जआं प्रार्थीगणों का शुरू से कब्जा काश्त चला आ रहा है वआ से भिन्न जगह पर प्रार्थीगणों के खेतों की गलत रूप से तरमीम कर दी गई जआं प्रार्थीगण की वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त से भिन्न जगह पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से तरमीम कर दी जिसको शुद्ध किया जाकर प्रार्थीगणों के कब्जा काश्त है वहा पर प्रार्थीगण तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर गिरदावर की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र निम्नानुसार है

राजस्व ग्राम नेवा पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 219/10 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 219/13 रकबा 2.4281 हैक्टेयर के राजस्व नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम की जाती है तो कोई उजर एवं एतराज नहीं है।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 219/10 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व 219/13 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि स्थित है। आराजी खसरान् की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम कब्जा काश्त के विपरित हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप ने भी पूर्व में हो रखी ऑनलाईन तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम किये जाने का कथन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाप के जवाब के संलग्न मौका फर्द, प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम मौके [illegible] दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त [illegible] को दुरूस्त किया जाकर मौका फर्द दिनांक 19.01.2023 में अंकित नजरी नक्शा अनुसा[illegible] किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:32 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 219/10 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व 219/13 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर मौका फर्द दिनांक 19.01.2023 में अंकित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

"संशोधन"

03/2023 प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के आधार पर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 13.02.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2023 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 14/02/2023 के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार पढ़ा व समझा जावे।

31.03.2023
उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:58:32 IS
Reason: SelfAttested